

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

विभागीय संकल्प संख्या:- 1718, दिनांक 14.06.2019 के आलोक में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. (क) माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड। — अध्यक्ष।
- (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची — सदस्य सचिव।
- (ग) राज्य सरकार के विभाग/स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि (जो परिषद् के पदेन सदस्य होंगे) :—
 - i- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड।
 - ii- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।
 - iii- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड।
 - iv- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड।
 - v- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड।

(घ) गैर सरकारी सदस्य

क्र० सं०	नाम	पता
i	श्री राकेश कुमार सिंह	पिता—श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, फ्लैट नम्बर—SW-2, आम्रपाली अपार्टमेन्ट, निवारणपुर, डोरण्डा, राँची—834002।
ii	श्री मदन लाल अग्रवाल	पिता— श्री पदारथ राम अग्रवाल, सिन्धीपाड़ा, हरिणडंगा बाजार, पाकुड़—816107।
iii	श्री मंजित कुमार सिन्हा	पिता—स्व० नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, अजन्ता पाड़ा, हीरापुर, धनबाद—826001।
iv	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	पिता—स्व० बनवारी प्रसाद अग्रवाल, मेन रोड, नियर जामा मरिजाद, चतरा—825401।
v	श्री राजेश रिंह	पिता—स्व० चन्द्रभान सिंह, बालीगुमा, डिमना रोड, मानगो, दुर्गापुजा मैदान के सामने, जमशेदपुर—832018।

(ड.) व्यक्तिगत उपभोक्ता कार्यकर्ता (जो किसी भी उपभोक्ता संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं)

i) श्रीमती मीना कुमारी पति—श्री उदय शंकर सिंहा, ए-11, रसेहा अपार्टमेन्ट, मनोरम नगर, लुब्बी सर्कुलर रोड, धनबाद, 826004।

2. झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् से संबंधित नियम आदि विभागीय संकल्प संख्या—1718, दिनांक 14.06.2019 के अनुरूप होंगे।
3. केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस राज्य के होंगे, झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य अपने संबंधित जिलों के उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
4. विभाग के पास आवश्यकतानुसार इस परिषद् को भंग करने या नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हो/-

(थॉमस डुंगडुंग),

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक— 06/उप०फो० (परिषद् नीतिगत) 06/2018 खा०आ०

/राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड ई-गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

हो/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक— 06/उप०फो० (परिषद् नीतिगत) 06/2018 खा०आ०

2486/राँची, दिनांक – 19/08/19

प्रतिलिपि—माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची/सभी प्रमङ्गलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची/जिला आपूर्ति पदाधिकारी—सह—सचिव, सभी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप सचिव/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बृंशी)

सरकार के संयुक्त सचिव।